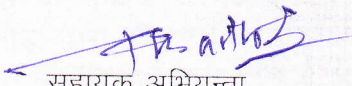


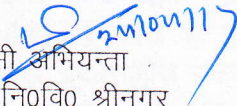
प्रारूप-5

परियोजना विवरण :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बेंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।

हायरी सख्या 1050
फाइल नं. 20/12/13
दिनांक 20/12/13

संख्या 6944/11(2)/10-40(साधना)/2013

महिमा,
अनु सन्निव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून दिनांक: 14 दिसम्बर, 2013

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 11 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0अ0/कु0अ0, ले0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 25 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 55.00 किमी0 + 02 सेतु तथा लागत ₹ 536.41 लाख है, पर टी0ए0सी0 दित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 536.41 लाख (₹ पाँच करोड़ छत्तीस लाख इकतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 11 कार्य हेतु ₹ 1.10 लाख (₹ एक लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदुपरान्त शासनादेश सं0-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शीडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व सम्बन्ध औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराने समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii)- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में दण्डवत् व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photo copy Allotted

(6)

संख्या

-4-

संख्या - 6970/11(2)/13-40(प्रोआ0)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 का संलग्नक

नरपद घमोली के विकास खण्ड पोखरी व उडामाडा तल्ला बिनगड-खुनीगाव-मुमेडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10.00	90.90 ₹ 58.50 + ₹ 32.40 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति विभागपत्नी से कराये जाने वाले कार्य	0.10
नरपद टिहरी गढ़वाल विकासखण्ड-कीर्तिनगर बजरा-बैजवाडी मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मंजूली तक बाएँ मार्ग का विस्तार।	4.00	31.12 ₹ 23.40 + ₹ 7.72 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति विभागपत्नी से कराये जाये वाले कार्य	0.10
योग:-	55.00 + 02brg	536.41	1.10

(कुल ₹ एक लाख दस हजार मात्र)

M R M
(महिमा)
अनु सचिव

प्रोप KTR - 0137026070 (0) / 11

Photo copy All-aster
[Signature]

सहायक अभियन्ता-
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
धीनगर-मु० कीर्तिनगर वि० ए०

प्रारूप-6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

परियोजना विवरण :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बेंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

दिनांक 15.09.2016 को वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग के द्वारा कि०मी० 0.00 से कि०मी० 4.00 तक बनाये जाने वाले मार्ग, प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सत्य प्रसाद कोठारी वन दरोगा, सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ललित मोहन गैड़ी कनिष्ठ अभियन्ता अन्य दावेदारों की ओर से प्रधान तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र पंचायत के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 550.00 (मी०) नाप भूमि से, 325.00 (मी०) सिविल भूमि से, 0.00 (मी०) वन पंचायत से, 3125.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.385 हे० नाप भूमि, 0.2275 हे० सिविल भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, 2.1875 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.415 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 116 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 67 बाँज प्रजाति के प्रभावित होंगे। वृक्षों की सूची मूल्यांकन सहित प्रस्ताव पर संलग्न है।

इस समरेखण की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 800.00 (मी०) नाप भूमि से, 150.00 (मी०) सिविल भूमि से, 0.00 (मी०) वन पंचायत से, 1050.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 0.560 हे० नाप भूमि, 0.105 हे० सिविल भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, 0.735 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.840 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 127 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 72 बाँज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

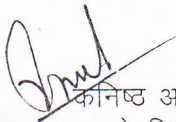
अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित ~~झगर~~ ब्लॉक कक्ष ~~43~~ से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्ष की वर्तमान वन आच्छादन 15 % है एवं इन कक्षों में 10 प्रजाति के वन हैं।

प्रभावित होने वाली नाप भूमि 0.385 हे० पर विभिन्न प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर चीड़, खड़ीक, तुन, जामुन, बांज, मेहल, कुकाट आदि प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 15 % है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 78°44'52.181"E, 30°20'14.394"N है। तथा यह स्थल खजरा बेंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04, के हे०मी० 8 से 10 (प्रारम्भिक बिन्दु) से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल का GPS मान 78°42'39.290"E, 30°20'29.081"N है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान संलग्न हैं।

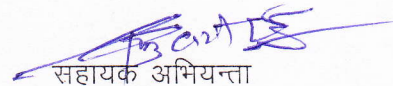
चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नहीं है। चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 04 नं० स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान निम्न हैं।

अन्य आवश्यक विवरण	(1)	78°42'52.023" E,	30°20'14.053" N
	(2)	78°42'55.073" E,	30°20'09.294" N
	(3)	78°42'56.010" E,	30°20'11.953" N
	(4)	78°42'35.626" E,	30°20'24.976" N



कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।

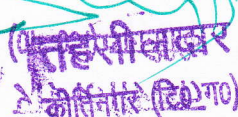


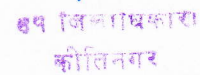
सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।



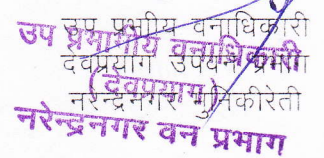
अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर।


वन क्षेत्राधिकारी
मानिकगढ़ रेंज
डिगघारा


निरीक्षक
कीर्तिनगर (दि० ग०)


वन निरीक्षक
कीर्तिनगर

उप जिलाधिकारी
दिहरी गढ़वाल


उप प्रभागीय वन अधिकारी
देवप्रयाग उपविभाग
नरेंद्रनगर मुनिकीरेती
नरेंद्रनगर वन प्रभाग


सहायक अभियन्ता

दिहरी गढ़वाल
11-4-2017

Map - 0.

क्रमांक 33/12
दिनांक 23-9/2016

कार्यालय - वन क्षेत्राधिकारी माणिकनाथ राजि डांगचौरा।
पत्रांक 211/12 दिनांक डांगचौरा 21 सितम्बर 2016।

सीमा

अधिशारी अभियन्ता
लो०नि०वि०
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल

विषय - संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - प्रभागीय वनाधिकारी महोदय का पत्रांक 4316/12-1 दिनांक 25-01-2016।

महोदय,

निवेदन है कि खजरा बैन्जवाड़ी मोटर मार्ग के किमी० 4 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग
अर्थात् 4 किमी० व 7 मीटर चौड़ाई में संयुक्त निरीक्षण कर दिया गया है।
अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न प्रेषित।

संलग्न - संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

भवदीय

1/1

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रंज

पत्रांक /12 तददिनांकित

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को उरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न - संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

NO 2123/33C
दिनांक 24/9/16
भवदीय
वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रंज
जोसेफ प्रमाणित
24/9/16